Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan
Mob. 8709575211 Email. ShyamShankarp2407@gmail.com.

PDF FOR BA HONS. PART-I

भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता

भारत में विधायिका और न्यायपालिका का विवाद पुराना है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के मध्य पहला संघर्ष गोलकनाथ विवाद में देखा गया। जिसमें सरकार ने 42 वाँ संशोधन करते हुए संसदीय प्रभुता को स्थापित करने का प्रयास किया। जबकि दूसरी ओर केशवानन्द भारती विवाद में न्यायपालिका ने आधारभूत ढाँचे का सिद्धान्त देते हुए न्यायिक पुनरावलोकन को प्रभावी बनाया। 1980 के दशक में न्यायपालिका के कार्यों में आमूल-चूल परिवर्तन देखा गया और अमेरिकी न्यायपालिका की भाँति भारत में भी जनहित याचिका का प्रयोग किया जाने लगा। जनहित याचिका के अन्तर्गत न्यायपालिका ने नागरिकों के नागरिकों के मूल अधिकारों को बहुत ज्यादा महत्व दिया तथा गरीब एवं वंचित लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास किया। पुलिस बर्बरता, अमानवीय यातना, जेल में मौत तथा बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने हेतु कई आदेश न्यायालय ने जारी किये तथा पर्यावरण की रक्षा पर भी बल दिया। 1990 में न्यायिक सक्रियता का विवाद उस समय बढ़ा जब मंत्रिमंडल स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले को प्रकाश में लाने के लिए न्यायपालिका ने CBI को और अधिक स्वायत्तता देने का समर्थन किया। हवाला काण्ड में सरकार को न्यायपालिका ने यह निर्देश दिया कि CBI की रिपोर्ट सीधे न्यायपालिका में प्रस्तुत की जाय। जज J.S Verma ने यह बताया कि CBI के कार्यों में तटस्थता के लिए यह जरूरी है कि वह सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट न दे।

Scanned with CamScanner

इसका सीधा आशय यह था कि CBI पर कार्यपालिका का नियंत्रण न रहे। इन परिस्थितियों में कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका पर बहस तेज हुई और लोकसभा के स्पीकर पी० ए० संगमा ने कहा कि न्यायपालिका की कार्य पद्धति स्वतन्त्र है तथा यह विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है।

कई सामाजिक संगठनों द्वारा भी जनहित याचिका दायर की गई। MC मेहता ने पर्यावरण सम्बन्धी मामले उठाये, HD शौरी ने नागरिक समाज के हित में कई जनहित याचिका का प्रयोग किया, कई बाँधो और बंधुआ मजदूरी का मामला उठा। न्यायपालिका ने ताजमहल मामले में 211 उद्योगों को बन्द करने का आदेश दिया, क्योंकि ये उद्योग पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर रही थी। इसी प्रकार 1996-97 में Supreme Court ने औद्योगिक इकाईयों को दिल्ली से बाहर करने का प्रयास किया क्योंकि ये घनी आबादी में थी, इसी प्रकार 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने यमुना के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया।

गठबंधन सरकार के युग में न्यायपालिका ने शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। 1993 के ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायधीश की भूमिका को प्रमुखता प्रदान की और कहा कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश के मतानुसार ही न्यायधीशों की नियुक्ति करेगा और यह निर्णय ~~न्यायपालिका~~ न्यायपालिका ने Advocated in record मामले में दिया।

उक्त निर्णयों से न्यायपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई। जबकि नेहरु काल से वरिष्ठ न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश बनाने की परम्परा आ रही थी जिसे 1970 में नहीं माना गया। पुनः 1973 में भी इसका उल्लंघन करते हुए AN Roy को भारत का मुख्य न्यायधीश बनाया गया। इस प्रकार विधायिका और न्यायपालिका में विवाद बढ़ता गया।

Scanned with CamScanner